पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

5.1 निष्क्रिय एवं अनियमित व्यय

तेल शोधक मिल की आपूर्ति एवं स्थापना बिना निविदा के राशि ₹ 18.47 लाख की लागत से की गयी। बिजली आपूर्ति के अभाव के कारण, जिसके लिए अग्रिम कार्यवाही नही की गयी, तेल शोधक मिल निष्क्रिय पड़ी रही।

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के अनुसार, उन आपूर्तियों के लिये जिनका प्राक्कलित मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है, खुली निविदायें आमंत्रित की जानी चाहियें। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार, भुगतान निर्धारित गुणवत्ता वाली आदेशित मात्रा की आपूर्ति की प्राप्ति के पश्चात् ही किया जाना चाहिये ।

हमने पाया कि जिला पंचायत, कांकेर ने ₹ 20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति (जनवरी 2007) जनपद पंचायत नरहरपुर, कांकेर को राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत मुसरपट्टा गांव में तेल शोधक मिल स्थापित करने हेतु प्रदान की थी।

जनपद पंचायत नरहरपुर, कांकेर के लेखों की जाँच से यह पता चला कि तेल शोधक मिल को स्थापित किये जाने हेतु कोई भी निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । इसके स्थान पर भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करते हुए केवल तीन फर्मों से कोटेशन आमंत्रित (फरवरी 2007) किये गये थे और कार्यादेश निम्नतम कोटेशन दर ₹ 18.47 लाख पर एक फर्म को जारी (फरवरी 2007) किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता का उल्लंघन करते हुए आपूर्ति आदेश वाले दिन ही ₹ 18.47 लाख की संपूर्ण राशि फर्म को अग्रिम भुगतान (फरवरी 2007) के रूप में प्रदान कर दी गयी । बैंक गारंटी इत्यादि किसी भी प्रकार की जमानत प्रदत्त भुगतान की सुरक्षा हेतु नही ली गयी । चूंकि आपूर्ति एवं स्थापना पूर्ण नही थी अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर ने कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संस्था को नोटिस जारी (मार्च 2008) किया । यद्यपि कार्यादेश जारी करने के 26 माह के विलंब के पश्चात् कार्य मई 2009 में पूर्ण कर लिया गया था, विद्युत आपूर्ति के अभाव में उपरोक्त को उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। मई 2009, अर्थात् तेल शोधक मिल स्थापित होने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के साथ पत्राचार आरंभ किया और ₹ 1,000 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में सर्वेक्षण कार्य हेतु जमा किये, जिसके प्रत्युत्तर में विद्युत मण्डल ने विद्युत आपूर्ति हेतु राशि ₹ 2.83 लाख की मांग (नबम्वर 2011) की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर ने जिला पंचायत कांकेर से उक्त कार्य हेतु ₹ 2.55 लाख की मांग (अप्रैल 2012) की । मांगी गई राशि राज्य विद्युत मण्डल में जनवरी 2014 अर्थात् स्थापना के चार वर्ष पश्चात् जमा की गयी और तेल शोधक मिल विद्युत आपूर्ति के

अभाव में निष्क्रिय पड़ी रही ।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जनपद पंचायत ने न केवल भण्डार क्रय नियम के विरूद्ध कार्यादेश जारी किया बल्कि आपूर्तिकर्ता को कार्य पूर्ण होने से 26 माह पूर्व ही ₹ 18.47 लाख अग्रिम भुगतान के रूप में प्रदान कर दिये। इसके साथ ही, विद्युत आपूर्ति के अभाव में तेल शोधक मिल की कार्यदशा सुनिश्चित नही की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त कार्यादेश में आपूर्ति, स्थापना और मशीनों/यंत्रों की वारंटी के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण नही किया गया। अतः बिना निविदा आमंत्रण के कार्यादेश जारी करना अनियमित था तथा 5 वर्ष से अधिक समय तक विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित न करने से ₹ 18.47 लाख का व्यय निष्क्रिय हो गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर ने बताया (जुलाई 2013) कि अप्रैल 2009, सितम्बर 2011 और अक्टूबर 2011 मे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को विद्युत आपूर्ति के लिए अनुरोध किया गया था और साथ ही ₹ 1,000 की मांग राशि भी जमा की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा यह भी सूचित (फरवरी 2014) किया गया कि तात्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर द्वारा भुगतान किया गया था, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

कार्यादेश जारी करने के साथ ही विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिये थे।

प्रकरण को शासन के संज्ञान (दिसम्बर 2013) में लाया गया था, जवाब अपेक्षित है।

5.2 यथोचित माँग सुनिश्चित किये बिना निर्माण प्रारम्भ करना

निर्माण कार्य के पूर्व में ही माँग के यथोचित आंकलन सुनिश्चित न करने से राशि ₹ 40.90 लाख की निर्मित सम्पत्ति अनुपयोगी रही।

ग्राम पंचायतें स्वयं अथवा किसी अन्य कार्यकारी सस्थाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्य करती हैं। इन सब का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा जन-कल्याण और ग्राम के हित के लिए किया जाता हैं ।

कोरबा और महासमुन्द के ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच मे यह पाया गया कि यथोचित माँग सुनिश्चित किये बिना सम्पत्तियों जैसे कि नाई धोबी की दुकानें, व्यवसायिक परिसर, कांजी हाउस आदि का निर्माण किया गया। फलस्वरूप, 10 कार्यों (कांजी हाउस, नाई धोबी की दुकानें, व्यवसायिक परिसर) जो कि 2005-06 से 2009-10 के मध्य पूर्ण हो चुके थे, उपयोग/आवंटित नहीं किये जा सके और लेखापरीक्षण के समय (फरवरी से जून 2013) तक निष्क्रिय पड़े रहे (***परिशिष्ट 5.1***)। इसके फलस्वरूप ₹ 33.80 लाख का निष्क्रिय व्यय हुआ ।

इसी प्रकार, जिला पंचायत राजनांदगाँव के अभिलेखों की जांच मे यह पाया गया कि 10 कार्यों (कांजी हाउस, सड़क कार्य, समुदायिक भवन और आंगनवाड़ी) जिनकी स्वीकृति 2005-06 से 2008-09 की अवधि मे की गई थी लेखापरीक्षा दिनांक की

(जुलाई 2013) (***परिशिष्ट 5.1***) तक ₹ 7.10 लाख व्यय करने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं की गयी थी।

अतः पूर्ण कार्यों के आवंटित ना किये जाने से और स्वीकृत कार्यों के 4 से 7 वर्षो तक अपूर्ण रहने से ₹ 40.90 लाख[1] का निष्क्रिय व्यय होने के साथ ही ग्रामीण जनता के हितों का शमन भी हुआ ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (फरवरी से जून 2013) कि नाई धोबी की दुकानों का आवंटन ग्रामीणों की रूचि के अभाव मे नही किया जा सका। आगे यह भी बताया गया कि निर्मित भवनों को शीघ्र ही उपयोग मे लाया जाएगा। अपूर्ण कार्यों के संबंध में, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगाँव द्वारा बताया (जुलाई 2013) गया कि इन कार्यो को पूर्ण करने हेतु मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से कार्यवाही की जा रही हैं एवं विभिन्न निर्माण संस्थाओं से पत्राचार किया जा रहा हैं।

प्रकरण को शासन के संज्ञान (मार्च 2014) में लाया गया था, जवाब अपेक्षित है ।

5.3 अनाधिकृत कार्यों पर व्यय

मूलभूत योजना अंतर्गत प्रावधानित निधि से राशि ₹ 44.22 लाख का व्यय अनाधिकृत कार्यों पर किया गया।

पंचायती राज अधिनियम 1993, के 49वें अनुच्छेंद के अनुसार मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने और गांवों मे जन सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सामुदायिक भवनों की देखभाल और मरम्मत आदि कार्यो का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों पर है। ग्राम पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे उपरोक्त कर्त्तव्यों का निर्वहन अपने स्वयं की निधि से करें। चूंकि पिछड़े जिलों में स्थापित पंचायतों के राजस्व स्रोत नगण्य है, इसलिए मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान आवंटित करने के लिए अखण्ड मध्यप्रदेश शासन द्वारा अगस्त 1997 में राज्य प्रायोजित मूलभूत योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत दिशानिर्देश में आठ[2] मूलभूत कार्य उल्लेखित हैं। ग्राम पंचायत में पारित प्रस्तावों के द्वारा इन कार्यो के लिए प्रमुखता के आधार पर निधि का प्रयोग किया जाना था।

तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जोर देते हुए अतिरिक्त निर्देश जारी (जून 2004) किये कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का मानदेय, विज्ञापन, स्थानीय पर्व और कूलर के क्रय का वहन योजना के अंतर्गत आवंटित निधि से नहीं किया जाएगा। आदेश मे आगे निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत सचिवालय की लेखन सामग्री का खर्च प्रतिवर्ष ₹ 1,000 तक सीमित किया जाए।

---

[1] ₹ 33.80 लाख + ₹ 7.10 लाख =₹ 40.90 लाख

[2] 1) साफ एवं पेयजल सुविधाओं का प्रावधान, 2) तालाबों का नवीनीकरण, गहरीकरण और निर्माण, 3) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण एवं मरम्मत, 4) स्वास्थ्य केन्द्र /प्रसूति गृह का निर्माण एवं उपकरण प्राप्ति, 5) पहुँच मार्ग का निर्माण, 6) नालियों का निर्माण, 7) ग्राम पंचायत भवन/जन-मंच का निर्माण, 8) पूर्व निहित हैंड पंप के चारों और ढ़लान एवं जल निकास का निर्माण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने और निर्देश जारी (जुलाई 2006) किया कि योजना के अंतर्गत मुरूमीकरण, भूमी समतलीकरण, मार्ग का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य ना किया जाए।

जनपद पंचायत पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2013) से विदित हुआ कि राज्य सरकार के निर्देशों और योजना के दिशानिर्देशों के विरूद्ध जनपद पंचायत, पामगढ़ के गांवों में अनाधिकृत कार्यों जैसे कि विज्ञापन, मुरूमीकरण, भूमि समतलीकरण, मार्ग मरम्मत आदि कार्यों ***(परिशिष्ट 5.2)*** पर कुल ₹ 44.22 लाख 2007-08 से 2012-13 की अवधि में व्यय किए गए।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पामगढ़ ने बताया (अगस्त 2013) कि जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण को शासन के संज्ञान (जनवरी 2014) में लाया गया था, जवाब अपेक्षित है।

रायपुर
दिनांक

(फुलजेंसिया खेस्स)
उपमहालेखाकार (लेखापरीक्षा),
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

रायपुर
दिनांक

(बि. कु. मोहंती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
छत्तीसगढ़